



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37812

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 957 सन् 2026

रामअवध यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुदर्शन सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कुलदीप त्रिपाठी

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक श्री राम अवध यादव के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप त्रिपाठी को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया।
2. आवेदक रामअवध यादव ने जिला चंदौली के अली नगर थानान्तर्गत दर्ज मुकदमा अपराध सं. 136 सन् 2025 अन्तर्गत धारा 65(1) बी.एन.एस. और धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ यह जमानत याचिका दायर की है।
3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि 30.04.2025 को दया कृष्णा नामक व्यक्ति के परिवार में विवाह था। शिकायतकर्ता की बेटी विवाह में शामिल होने जा रही थी। रास्ते में, आवेदक उसे बहला-फुसलाकर तालाब की ओर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर, सुधांशु मिश्रा और सुभाष ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए आवेदक को रंगे हाथों पकड़ लिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घटना 30.04.2025 को लगभग 22:30 बजे घटी थी, जबकि एफआईआर 01.05.2025 को लगभग 18:57 बजे दर्ज की गई थी, इस तरह की अत्यधिक देरी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं बताया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक की आयु लगभग 62 वर्ष है और कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन में सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 3 मई 2025 से जेल में बंद है। अतः निवेदन किया गया है कि आवेदक जमानत का हकदार है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप हैं और पूर्व-विचारण चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

6. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन सूचनादाता, पीड़िता और गवाहों ने बी.एन.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में किया है। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान सी.डी. सं. 15 दिनांकित 01.05.2015 की ओर भी दिलाया है, जिसमें विवेचना अधिकारी ने दो वीडियो देखे हैं और लिखित रूप में यह दर्ज किया है कि आरोपी ने अपराध किया है।

7. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक की एक विशिष्ट भूमिका बताई गई है, जिसका समर्थन पीड़िता और गवाहों ने भी बी.एन.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयानों में किया है। इसके अलावा, सीडी-15 में एक वीडियो सीडी है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है, जो यह भी दर्शाती है कि अपराध किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे आरोपी-आवेदक के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है।

9. तदनुसार, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

17 फरवरी, 2026

एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।